<u>सिफनेट - प्रकार्य</u>

मात्स्यिकी उद्योग की मांगों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मत्स्यन प्रशिक्षण प्रणाली की अति आवश्यकता और महत्व को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने 1963 में कोच्चि में केंद्रीय मात्स्यिकी कर्मी संस्थान (बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान - सिफनेट रखा गया) की स्थापना की, जिससे वाणिज्य नौपरिवहन अधिनियम (1958) में दिए गए गभीर सागर मत्स्यग्रहण जलयान के प्रचालन के लिए सांविधिक आवश्यकताओं और समर्थित तट स्थापना हेतु आवश्यक कुशल कर्मियों की पूर्ति हो सके । वाणिज्य नौपरिवहन (संशोधित) अधिनियम 1987 में अनुबंध किया गया है कि सभी यांत्रिक प्रणोदन युक्त मत्स्यग्रहण जलयानों में विधिवत् प्रमाणित कर्मी ही काम कर सकते है और मत्स्यग्रहण के विविधीकरण और गभीर सागर मत्स्यग्रहण के विकास का प्रभावी कार्यान्वयन तभी हो सकता है जब मत्स्य उत्पाद को बढाने के लिए तरह तरह के और स्तरीय जलयानों के प्रभावी प्रयोग केलिए समर्थ और पर्याप्त मानवशक्ति हमेशा उपलब्ध हो सके । तत्पश्चात उपर्युक्त उद्देश्य को पाने के लिए संस्थान की दो इकाइयॉ, एक 1968 को चेन्नई में तथा दूसरा 1981 को विशाखपट्टनम में स्थापित की गई, जिससे देश में प्रशिक्षित मानवशक्ति के लिए बढते मांग को पूरा कर सके ।

सिफनेट देश का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान है जो वाणिज्य नौपरिवहन (संशोधित) अधिनियम 1987 में दिए गए पवर मत्स्यग्रहण जलयान के स्किप्पर ,मेट, इंजीनियर, इंजन ड्राइवर जैसे तकनीकी और प्रमाणित कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । तट स्थापनाओं को सहायता देने के लिए तथा मत्स्यग्रहण जलयानों के प्रभावी प्रचालन के लिए आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति के सृजन केलिए भी सिफनेट ही उत्तरदायी है । संस्थान द्वारा आयोजित एकीकृत बहु-विषयक क्षेत्र के विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम जैसे मत्स्ययन प्रौद्योगिकी, नौचालन विज्ञान और समुद्री इंजीनियरी से अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा केंद्रीय/ राज्य सरकार के विभागों के अधीनस्थ विभिन्न संगठनों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक/निजी स्थापनों में काम करने वाले कर्मियों भी लाभांवित हुए हैं ।

सिफनेट का लक्ष्य

- सागरगामी मत्स्यग्रहण जलयानों के प्रचालन के लिए तकनीकी मानवशक्ति का सृजन करना |
- समुद्रगामी जलयानों के प्रचालन के लिए से जुडे तटीय संस्थापनाओं के संचालन के लिए मानवशक्ति का सृजन करना |
- समिद्री राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जानेवाले मछुआरा प्रशिक्षण केंद्रों केलिए प्राध्यापकों का सृजन करना।
- जलयान के प्रचालकों/तटीय तकनीकविद और प्रबंधकों केलिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

- मछुआरों के प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए तकनीकी प्राध्यापकों को प्रशिक्षण देना |
- तकनीकी मानवशक्ति अपेक्षिकतओं के विशेष संदर्भ में सभी मामलों में तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करना ।
- मत्स्यग्रहण जलयानों के प्रचालन और तटीय संस्थाओं के संचालन केलिए दक्षिण- पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व एवं आफ्रिकी क्षेत्रों के विकासशील राष्ट्रों को सहायता देना ।
- समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के ज़रिए मत्स्यन प्रौद्योगिकी का प्रचार बढाना।

सिफनेट का संगठनात्मक ढांचा

सिफनेट के मुख्यालय कोच्ची में 3 तकनीकी प्रभाग और एक प्रशासन अनुभाग है। तकनीकी प्रभाग के अधीन सीमानशिप एवं नाविगेशन प्रभाग, समुद्री इंजीनियरी प्रभाग और क्राफ्ट एवं गियर प्रभाग आते हैं। सीमानशिप एवं नाविगेशन प्रभाग और क्राफ्ट एवं गियर प्रभाग के अध्यक्ष मुख्य अनुदेशक होते हैं, जबकि समुद्री इंजीनियरी प्रभाग यांत्रिक समुद्री इंजीनियर के अधीन काम करता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन अनुभाग का अध्यक्ष है, और वे आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य भी करते हैं। सभी प्रभागों के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निदेशक के नियंत्रणाधीन हैं और निदेशक इस विभाग के अध्यक्ष हैं।

सुविधाएं

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिफनेट के मुख्यालय तथा इकाइयों में सुसज्जित तकनीकी प्रभाग हैं। इस संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का सफल कर्यान्वयन इन्हीं प्रभागों/अनुभागों के ज़रिए होते हैं।

नौचालन प्रभाग	नाविक कला तथा नौसंचालन समुद्री मौसम विज्ञान, चार्ट कार्य आदि ।
समुद्री इंजीनियरी प्रभाग	समुद्री इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी प्रशीतन, द्रवचालिकी, आदि; मत्स्यग्रहण जलयानों, उपकरणों तथा मशीनों का अनुरक्षण आदि से जुडा है ।
मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रभाग (पूर्व नाम: क्राफ्ट एवं गियर प्रभाग)	मत्स्यन प्रौद्योगिकी, मत्स्यन गियर सामग्रियाँ, डिजाइन, मत्स्यन प्रविधियाँ, और डेक उपस्कर जुडा है ।
प्रशिक्षण प्रभाग	विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूपांकन और आयोजन, संस्थानोत्तर प्रशिक्षण, परीक्षा और रोजगार मार्गप्रदर्शन आदि से जुडा हैं ।

सूचना और प्रकाशन अनुभाग	सिफनेट के विभिन्न प्रकाशन तैयार करने का कार्य्।
पुस्तकालय	छात्रों और कर्मचारियों को पुस्तकालय की सेवाएँ प्रदान करना।